



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: **राजमेव 312/14/23/2666**

दिनांक: **4/2/26**

सेवा मे,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा अतारंकित Diary No. 1816 Sports Infrastructure and Training

Facilities दिनांक 05.02.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 27.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether Government is aware of the inadequate sport infrastructure and limited training facilities available across the country including Chhattisgarh;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	Whether any proposals have been received from various State/UT Administrations for the development or upgradation of sports infrastructure, including construction of indoor stadiums, outdoor grounds, swimming facilities and youth training centres;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	if so, the State/UT-wise details thereof and the current status of such proposals;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	The total number of Government-funded training centres, academies and coaches available across India sports-wise; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(e)	The State/UT-wise number of athletes who have received support at such centers in the last five years?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यतेन्द्र सिंह

(प्रो.यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-उ3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: **एडमिनि 34/2023/2667**

दिनांक: **4/2/26**

सेवा मे,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा अतारंकित Diary No. 1779 Youth Sports Infrastructure in Odisha

दिनांक 05.02.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 27.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The number of Khelo India centers functioning in Odisha:	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	Funds allocated for development of rural sports infrastructure;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Steps taken to identify and train young athletes;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	Whether any national sports academies are proposed in Odisha, and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(e)	The measures taken to promote sports culture among tribal youth?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

(प्रो.यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: **एडमि/31/1023/2668**

दिनांक: **4/2/26**

सेवा मे,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा तारांकित प्रश्न 67 Development activities at Regional Sports School, Karimnagar दिनांक 05.02.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 30.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

बिन्दु क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether Government has allocated any fund under any of its programme for various developmental activities including appointment of coaches for various disciplines at Regional Sports School, Karimnagar, Telangana;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	If so, the details thereof;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Whether Government has identified the Sports Complex situated there to develop it as a Center of Excellence at par with Sports Authority of India (SAI);	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	If so, the details thereof; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(e)	If not, the reasons therefor?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यतेश सिंह
(प्रो.यतेन्द्र कुमार सिंह)
कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एजमि/3।4।16/23।2670

दिनांक: 4/2/26

सेवा मे,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा अतारंकित प्रश्न 705 Infrastructural facilities during India Open, 2026

दिनांक 05.02.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 30.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

बिन्दु क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether Government is aware that the India Open 2026 Super 750 was marred by bird droppings halting matches twice, monkeys in stands, filthy washrooms and cigarette butts;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	Whether a Danish shuttler has described such conditions as "unacceptable, highly unprofessional", questioning World Championships readiness that reflects infrastructure neglect;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The accountability fixed on the Sports Authority of India and the Badminton Association for providing the venue without basic cleanliness and animal control; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	The measures being taken to ensure that the August 2026 World Championships and 2030 Commonwealth Games will not face identical debacles?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

(प्रो.यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-उ.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: **एडमिनि/31/2026/2671**

दिनांक: **4/2/26**

सेवा मे,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा अतारंकित प्रश्न 788 National Sports Governance Rules, 2025

दिनांक 05.02.2026 की जानकारी बाबत।


संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 30.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The key objectives and salient features of National Sports Governance (National Sports Bodies) Rules, 2026 notified under the National Sports Governance Act, 2025;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The provisions made for inclusion and representation of sportspersons of outstanding merit and women in governance structures of National Sports Bodies;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The timelines and procedures prescribed for elections and updating of affiliated units under these rules;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	The mechanism adopted to ensure effective implementation of these governance reforms across all recognised National Sport Federations?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,


(प्रो.यतेन्द्र कुमार सिंह)
कुलसचिव प्रभारी

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफए-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एजमेन/34/2023/2672

दिनांक: 4/2/26

सेवा मे,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा अतारांकित प्रश्न 789 Status of youth hostels दिनांक 05.02.2026 की जानकारी बाबत।


संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 30.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The number of youth hostels constructed under Youth Hostel Scheme during the last five years, year-wise and State/UT-wise, along with their location and year of establishment;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The funds allocated and utilised for their construction and maintenance during that period, year-wise and State/UT-wise;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Whether it is a fact that no youth hostel has been constructed or is currently operational in Delhi and if so, the reasons therefor;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	Whether any proposal for a youth hostel in delhi has been submitted and/or rejected during the last decade; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(e)	If not, whether Government plans to construct one and the proposed timeline?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,


(प्रो.यतेन्द्र कुमार सिंह)
कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: **एएमबी/312/2023/2673**

दिनांक: **4/2/26**

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा अतारंकित प्रश्न 790 Shifting of National Sports University, Imphal

दिनांक 05.02.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 30.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The details of plans to shift and inaugurate the National Sports University, Imphal at its designated campus in Koutruk from its present Khuman Lampak Sports Complex;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The number of disciplines and number of students intake for admission in the university from the academic session 2025-2026; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The details of expenditures incurred, so far, on the activity?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

प्रो.यतेन्द्र कुमार सिंह

(प्रो.यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: राजसभा/31/2023/2674

दिनांक: 4/2/26

सेवा मे,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा अतारांकित प्रश्न 791 Promotion of sports दिनांक 05.02.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 30.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether it is a fact that Government has taken initiatives to promote sports in the country;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	If so, the details of plans and schemes of Government to promote sports;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The steps taken by Government to provide equal opportunities to all talented youth in sports;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	The scheme of Government for establishing SAI centers in Tamil Nadu;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(e)	Whether Government is formulating any plan to establish such sports training centers in Public-Private-Partnership (PPP) mode; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(f)	If so, the details thereof?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यतेन्द्र सिंह

(प्रो.यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफए-14/92-यू दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: **राजभिन 312/2023/2678**

दिनांक: **4/2/26**

सेवा मे,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा अतारांकित प्रश्न 792 'Come and Play' Initiative दिनांक 05.02.2026 की जानकारी बाबत।


संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 30.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The details of 'Come and Play' initiative aimed at nurturing grassroots sports talent;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The number of Sports Authority of India stadiums opened for youth training;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The participation statistics from recent block-level sports meets; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	The support mechanisms available for transitioning talented youth to professional sports platforms?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,


(प्रो.यतेन्द्र कुमार सिंह)
कुलसचिव प्रभारी

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफए-14/92-यू दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: **एडमिन/31/12/23/2676**

दिनांक: **4/2/26**

सेवा मे,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा अतारांकित प्रश्न 793 Promotion of sports in Odisha दिनांक 05.02.2026

की जानकारी बाबत।


संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 30.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The number of youth beneficiaries in Odisha under skill and leadership programmes;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The steps taken to promote sports infrastructure in rural and tribal districts;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Whether Khelo India centers have been established in Odisha;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	The funds allocated for youth welfare in the State during the last three years; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(e)	The measures taken to encourage youth participation in national and international sports?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,


(प्रो.यतेन्द्र कुमार सिंह)
कुलसचिव प्रभारी

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: **एडमिन/32(1623)2677**

दिनांक: **4/2/26**

सेवा मे,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा अतारांकित प्रश्न 794 Strengthening sports coaching ecosystem

दिनांक 05.02.2026 की जानकारी बाबत।


संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 30.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The key recommendations of the Task Force on Unified Framework for Development Coaching Ecosystem in India, submitted to the Ministry to strengthen coach education accreditation;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The proposal for establishment of a National Coach Accreditation Board (NCAB) and its envisioned role in setting national standards;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The measures to implement a tiered national coaching pathway across grassroots to elite levels;and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	The expected timeframe for rolling out these recommendations to professionalise sports coaching in the country?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,


(प्रो.यतेन्द्र कुमार सिंह)
कुलसचिव प्रभारी

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: **राजसि ३५५६२३/२६७८**

दिनांक: **५/०२/२०**

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

**विषय:- राज्य सभा अतारांकित प्रश्न 795 Sports Infrastructure in Raigad दिनांक 05.02.2026
की जानकारी बाबत।**

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 30.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The current status of sports infrastructure developed under the Khelo India scheme in Raigad district of Maharashtra, their level of utilization and preparedness for operation;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The administrative or institutional reasons for underutilization of these facilities;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The extent to which school, college and community-level athletes have access to these assets; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	The corrective and monitoring measures taken for sustainable and effective use of these sports infrastructures?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,



(प्रो.यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: **एजमिने/312/1623/2679**

दिनांक: **4/2/26**

सेवा मे,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा अतारांकित प्रश्न 796 Assistance under NSDF दिनांक 05.02.2026

की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 30.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The details of projects approved for financial assistance under National Sports Development Fund (NSDF) in Karnataka during the last five years and the current year, year-wise;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	Whether allocation of Rs. 100 crores for 2021-22 is sufficient to meet the huge demand from various States for sports infrastructure and helping sports persons and organizations;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The details of allocation made during 2022-23, 2023-24, 2024-25 and 2025-26; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	The details of projects considered from Karnataka for financial assistance since 2021-22?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

प्रो.यतेन्द्र कुमार सिंह
(प्रो.यतेन्द्र कुमार सिंह)
कुलसचिव प्रभारी

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-उ.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmbai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)
Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: **सजमिन 31/10/23/2680**

दिनांक: **4/2/26**

सेवा मे,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा अतारांकित प्रश्न 797 Khelo India scheme दिनांक 05.02.2026 की जानकारी बाबत।


संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 30.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The number of athletes and sports infrastructure projects supported under Khelo India scheme since its inception, year-wise and State-wise, particularly for Tamil Nadu;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	Whether Government has ensured equitable distribution of funds and facilities across all States, especially in the southern States and the criteria used for such allocation;and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The details of Khelo India Centers and Talent Identification Programmes in Tamil Nadu and number of athletes from Tamil Nadu who have participated in Khelo India Youth Games and other national events under this scheme?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,


(प्रो.यतेन्द्र कुमार सिंह)
कुलसचिव प्रभारी

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: **एडमि/314/2023/2681**

दिनांक: **4/2/26**

सेवा मे,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा अतारंकित प्रश्न 798 Deendayal Upadhyay National Welfare

Programme for sportspersons दिनांक 05.02.2026 की जानकारी बाबत।


संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 30.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The number of sportspersons who have benefitted under the Deendayal Upadhyay National Welfare Programme for sportspersons during the last three years, State-wise;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The funds sanctioned and disbursed under the programme during the same period;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Whether any beneficiaries are from Andhra Pradesh, particularly from Kakinada district; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	The measures being taken to enhance awareness, simplify application procedures and ensure timely financial assistance to eligible sportspersons?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,


(प्रो.यतेन्द्र कुमार सिंह)
कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: **यजप्रिन 314/2023 | 2682**

दिनांक: **4/2/24**

सेवा मे,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा अतारांकित प्रश्न 799 Recognition of National Sports Federations

दिनांक 05.02.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 30.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The number of National-Sports-Federations (NSFs) registered in the country, as per the latest records, the number recognized by Government and those affiliated with the Indian Olympic Association and the respective international federations, discipline-wise;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The budgetary-allocation made during the last five years to recognized NSFs towards capacity building, infrastructure-support and development programme and the utilization status thereof;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The measures taken to streamline the affiliation of NSFs with international bodies to enhance India's presence in global competitions; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	Whether Government proposes performance-linked support and monitoring mechanisms to strengthen un-recognized sports federations and ensure broader sporting excellence across the country?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यतेंद्र सिंह
(प्रो.यतेंद्र कुमार सिंह)
कुलसचिव प्रभारी

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: 2501/312/2023/2683

दिनांक: 4/2/26

सेवा मे,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा अतारांकित प्रश्न 800 Upgradation of sports infrastructure and training facilities दिनांक 05.02.2026 की जानकारी बाबत।


संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 30.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether Government is aware of inadequate sports infrastructure and limited training facilities available across the country including Chhattisgarh;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	Whether any proposals have been received from various state/UT Administrations for the development or upgradation of sports infrastructure, including construction of indoor stadiums, outdoor grounds, swimming facilities and youth training centres;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	If so, the State/UT-wise details thereof and the current status of such proposals;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	The number of Government-funded training centres, academies and coaches available across India, sports-wise; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(e)	The State/UT-wise number of athletes who have received support at such centers during the last five years?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,



(प्रो.यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: **संज्ञान 311/2023/2684**

दिनांक: **4/2/26**

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा अतारांकित 1503 Welfare and Empowerment of Indian Youths in 2026

दिनांक 05.02.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 27.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Will the Government kindly apprise the key welfare and empowerment schemes currently available for Indian youths across the country in 2026, including skill development and entrepreneurship programmes?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	Indicate steps taken to ensure equitable access of youths from rural, marginalised, and economically weaker sections to education, employment, and sports initiatives nationwide;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Consider enhancing awareness, outreach, and digital platforms for youths to access government welfare schemes, scholarships, and training programmes, if so, details thereof?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	Inform measures undertaken to monitor the impact and outcomes of youth welfare schemes, including employment generation, skill enhancement, and participation in national development activities?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यतेंद्र सिंह
(प्रो.यतेंद्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-उ.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India. Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: **संज्ञान 312/2023/2685**

दिनांक: **4/2/26**

सेवा मे,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा अतारांकित Diary No 2781 Status of Youth Hostels in India दिनांक

05.02.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 27.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Total number of youth hotels constructed under Youth Hostel Scheme in the last ten years, year-wise and State/UTwise, along with location and year of establishment;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The total funds allocated and utilised for their construction and maintenance in the last ten years, year-wise and State/UF-wise;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Whether it is true that no youth hostel has been constructed or is currently operational in Delhi and if so, the reasons therefor;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	Whether any proposal for a youth hostel in Delhi has been submitted and /or rejected in the last decade; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यतेन्द्र सिंह
(प्रो.यतेन्द्र कुमार सिंह)
कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार,मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: **सुजमीनी 312/2023/2686**

दिनांक: **4/2/26**

सेवा मे,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा अतारांकित Diary No 751 Youth Development दिनांक 05.02.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 27.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether youth development and sports promotion schemes have been independently evaluated for reach and effectiveness, if so, details, if no reasons for same;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	Whether issues relating to transparency in selection, funding and governance of sports bodies have been examined,if so, details, if no reasons for same;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Whether adequate infrastructure and opportunities are available for youth from rural and marginalised backgrounde, if so, details, if no reasons for same; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	What measures are being taken to ensure equitable, transparent and merit-based development of youth and sports programmes?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यतेंद्र सिंह
(प्रो.यतेंद्र कुमार सिंह)
कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-उ.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: राजप्र.न.312/2023/2687

दिनांक: 4/2/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा अतारांकित Diary No 2502 Youth Skill Development in Odisha

दिनांक 05.02.2026 की जानकारी बाबत।


संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 27.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The number of youth beneficiaries in Odisha under skill and leadership programmes;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	Step taken to promote sports infrastructure in rural and tribal districts;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Whether Khelo India centres have been established in Odisha;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	Funds allocated for youth welfare in the State during the last three year;s and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(e)	Measures taken ro encourage youth participation in national and international sports?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,


(प्रो.यतेन्द्र कुमार सिंह)
कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-U.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: **एडमिनि 312/2023/2688**

दिनांक: **4/2/26**

सेवा मे,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा अतारांकित Diary No 2000 Developmental activities at Regional Sports School, Karimnagar दिनांक 05.02.2026 की जानकारी बाबत।


संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 27.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether Government has allocated any fund under any of its programme for various developmental activities including appointment of coaches for various disciplines at Regional Sports School, Karimnagar, Telangana;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	if so, the details thereof;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Whether Government has identified the Sports Complex situated there to develop it as a Center of Excellence at par with Sports Authority of India (SAI);	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	if so, the details thereof; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(e)	if not, the reasons therefor?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,


(प्रो.यतेन्द्र कुमार सिंह)
कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-उ.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमि. 31.12.23/2689

दिनांक: 4/2/26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा अतारांकित Diary No 2245 Shifting of National Sports University, Imphal दिनांक 05.02.2026 की जानकारी बाबत।


संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 27.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The details of plans to shift and inaugurate the National Sports University, Imphal at its designated campus in Koutruk from its present Khuman Lampak Sports Complex;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The numbers of disciplines and numbers of students intake for admission in the university from the academic session 2025-2026, and;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The details of expenditures incurred, so far?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,


(प्रो.यतेन्द्र कुमार सिंह)
कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-उ.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: **शुद्धाभिन/312/2023/2290**

दिनांक: **4/2/26**

सेवा मे,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा अतारांकित Diary No 2277 दिनांक 05.02.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 27.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The total number of athletes and sports infrastructures projects supported under the Khelo India Scheme since its inception, wah year wise and State wise data, particularly for Tamil Nadu;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	Whether Government has ensured equitable distribution of funds and facilities across all States, especially in the Southern States and the criteria used for such allocation; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The details of Khelo India Centers and Talent Identification Programmes in Tamil Nadu and the number of athletes from Tamil Nadu who have participated in Khelo India Youth Games and other national events under this scheme?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यतेंद्र कुमार सिंह
(प्रो.यतेंद्र कुमार सिंह)
कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-उ.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: राजमेन 312/223/2691

दिनांक: 4/2/26

सेवा मे,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा अतारांकित Diary No 2737 National Sports Policy दिनांक 05.02.2026

की जानकारी बाबत।


संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 27.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The key objectives and features of the newly declared National Sports Policy;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The measures proposed under the policy to promote grassroots and rural sports development across the country;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The steps planned to improve infrastructure and training facilities for athletes at national and state levels;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	How the policy aims to support and encourage women athletes and differently-abled sportspersons; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(e)	The mechanisms included for monitoring and evaluating the implementation and impact of the National Sports Policy?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,


(प्रो.यतेन्द्र कुमार सिंह)
कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: राजकी 321/23/2692

दिनांक: 4/2/26

सेवा मे,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा अतारांकित Diary No 1075 दिनांक 05.02.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 27.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The ways in which grassroots sports infrastructure under NSP 2025 is being aligned with rural and urban youth engagement strategies;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The provisions made to ensure athlete welfare and sports sciences access for underprivileged talent;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The mechanisms proposed to enforce transparency in National Sports and Federations, especially with respect to financial and selection processes; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	The roadmap for attracting and hosting international sports event to boost employment and tourism?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

(प्रो.यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: **राजसि/314/2023/2693**

दिनांक: **4/2/26**

सेवा मे,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा अतारंकित Diary No 2603 Implementation of the Deendayal

Upadhyay National Welfare Programme for Sportspersons दिनांक 05.02.2026

की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 27.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The total number of sportspersons who have benefited under the Deendayal Upadhyay National Welfare Programme for Sportspersons during the last three years, State-wise;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The total funds sanctioned and disbursed under the programme during the same period;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Whether any beneficiaries are from Andhra Pradesh, particularly from Kakinada district; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	The measures being taken to enhance awareness, simplify application procedures and ensure timely financial assistance to eligible sportspersons?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यतेन्द्र सिंह

(प्रो.यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी

कुल



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-उ.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: **रजिस्ट्रार 31.1.20 13/2694**

दिनांक: **4/2/26**

सेवा मे,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा अतारंकित Diary No 2694 Weak integration of the school and higher education sports ecosystem in Raigad district of Maharashtra दिनांक 5.02.2026

की जानकारी बाबत।।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 27.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The current status of integration between school-level sports programmes and higher education institutions under Central sports, initiatives in Raigad district of Maharashtra;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The reasons for lack of continuity in sports participation of athletes after secondary education;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The extent of adequacy of coordination among the Education Department, sport's bodies and centres of the Sports Authority of India(SAI); and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	The remedial measures taken to develop a seamless school -to -college sports pathway in Raigad district ?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यशोवन्त सिंह

(प्रो.यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी

रु



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफए-14/92-यू दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: संज्ञिती 312/2023/8695

दिनांक: 4/2/26

सेवा मे,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा अतारांकित Diary No 2689 Underutilization of the sports infrastructure and assets developed under Khelo India in the Raigad district of Maharashtra

दिनांक 5.02.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 27.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The current status of the sports infrastructure developed under the Khelo India scheme in the Raigad district of Maharashtra, their level of utilization and preparedness for operation;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The administrative or institutional reasons for the underutilization of these facilities;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The extent to which school, college and and community-level athletes have access to these assets; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	The corrective and monitoring measures taken for the sustainable and effective use of these sports infrastructures?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यतेन्द्र सिंह

(प्रो.यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: **रजमि/314/2023/2696**

दिनांक: **4/2/26**

सेवा मे,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा अतारंकित Diary No 1799 National Sports Governance Rules, 2026

दिनांक 5.02.2026 की जानकारी बाबत।


संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 27.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The key objectives and salient features of the National Sports Governance (National Sports Bodies) Rules, 2026 notified under the National Sports Governance Act, 2025;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The provisions made for inclusion and representation of sportspersons of outstanding merit and women in the governance structures of National Sports Bodies;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The timelines and procedures prescribed for elections and updating of affiliate units under these Rules;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	The mechanism adopted to ensure effective implementation of these governance reforms across all recognised National Sports Federations?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,


(प्रो.यतेन्द्र कुमार सिंह)
कुलसचिव प्रभारी

लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: **राजमे/3/1/2023/2697**

दिनांक: **4/2/26**

सेवा मे,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा अतारंकित Diary No 2376 Task Force Report on Coaching

Ecosystem Strengthening दिनांक 5.02.2026 की जानकारी बाबत।


संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 27.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The key recommendations of the Task Force on Unified Framework for Development of Coaching Ecosystem in India, submitted to the Ministry to strengthen coach education and accreditation;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The proposal for establishment of a National Coach Accreditation Board((NCAB) and its envisaged role in setting national standards;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The measures to implement a tiered national coaching pathway across grassroots to elite levels; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	The expected timeframe for rolling out these recommendations to professionalise sports coaching in the country?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,



(प्रो.यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी





लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: 27/21/26/23/2698

दिनांक: 4/2/26

सेवा मे,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा अतारांकित Diary No. 630 Gaps in India's sports administration

दिनांक 5.02.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 27.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether Government has taken cognizance of recent evaluations pointing to gaps in India's sports ecosystem, including shortage of professional sports administrators and inadequate athlete-centric support systems;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	If so, the key deficiencies identified, and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The steps taken or proposed to strengthen institutional capacity, improve accountability of National Sports Federations and ensure effective long-term athlete development?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

(प्रो.यतेन्द्र कुमार सिंह)
कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: **स्यमित 31.1.2023/2619**

दिनांक: **4/2/26**

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा अतारांकित Diary No. 1923 Sports Centers at Village and Small-Town Levels दिनांक 5.02.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 27.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Does Government have any official data regarding registered and unregistered sports centers or academies operating at the village or small-town level to promote sports among children;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	If such data exists, can the Ministry provide State-wise details, particularly for States like Punjab, Haryana, Maharashtra and Tamil Nadu and other States where sports culture is active; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	If such data does not exist, does the Ministry have plans to create a registry or conduct a survey of all such centres?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यतेन्द्र सिंह
(प्रो.यतेन्द्र कुमार सिंह)
कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: **संभित 31.12.2023 / 2700/2 2700**

दिनांक: **04/2/26**

सेवा मे,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा अतारंकित Diary No. 1884 Status of National Sports Federations and Recognition by the Government, Indian Olympic Association and International Bodies दिनांक 5.02.2026 की जानकारी बाबत।


संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 27.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The total number of National-Sports-Federations (NSFs) registered in the country as per the latest records, the number recognized by Government and those affiliated with the Indian Olympic Association and the respective international federations, discipline-wise;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The budgetary-allocations made during the last five years for recognized NSFs towards capacity building, infrastructure-support and development programme and the utilization status thereof;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The measures taken to streamline the affiliation of NSFs with international bodies to enhance India's presence in infrastructure global competitions; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	Whether Government proposes performance-linked support and monitoring mechanisms to strengthen under- recognized sports federations and ensure broader sporting excellence across the country?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,


(प्रो.यतेन्द्र कुमार सिंह)
कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-उ.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: **एडमि/31/2023/2701**

दिनांक: **4/2/26**

सेवा मे,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा अतारंकित Diary No. 1846 Comprehensive Internship Policy to strengthen the sports Ecosystem दिनांक 5.02.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 27.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The key features of the Comprehensive Internship Policy launched to build sports professionals, including objectives, functional domains and duration;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The number of internships proposed annually, categories of host institutions, stipend structure and budgetary provisions;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The timeline and selection process for recruitment of interns, including the role of any centralised portal;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	The monitoring and evaluation mechanisms envisaged; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(e)	The steps proposed to link internship experience with future employment opportunities in the sports sector?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यतेन्द्र सिंह

(प्रो.यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभासी

]



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-यू दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: राज्य सभा अतारांकित 1537/2702

दिनांक: 04/2/26

सेवा मे,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा अतारांकित Diary No. 1537 Promotion of sports in the country दिनांक 05.02.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 27.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether it is a fact that Government takes initiatives to promote sports in the country;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	If so, the details of the plans and schemes of Government to promote sports in the country;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The steps taken by Government to provide equal opportunities to all talented youths in the sports;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	The scheme of Government for establishing SAI centers in Tamil Nadu;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(e)	Whether Government is formulating any plan to establish such sports training centers in Public-Private-Partnership(PPP) Mode; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(f)	if so, the details thereof?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यतेन्द्र सिंह

(प्रो.यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: **राष्ट्रीय 312/2023/2763**

दिनांक: **4/2/26**

सेवा मे,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

**विषय:- राज्य सभा अतारांकित Diary No. 1379 National Sports Development Fund (NSDF)
in Karnataka दिनांक 05.02.2026 की जानकारी बाबत।**

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 27.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Details of projects approved for financial assistance under National Sports Development Fund (NSDF) in Karnataka during the last five years and the current year, year-wise;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	Whether allocation of Rs. 100 crores for 2021-22 for NSDF is sufficient to meet the huge demand from various States for sports infrastructure and helping sports persons and organizations;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Details of allocation made in 2022-23, 2023-24, 2024-25 and 2025-26; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	Details of projects considered from Karnataka for financial assistance since 2021-22?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

(प्रो.यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: राजमि/312/2023/2764

दिनांक: 4/2/26

सेवा मे,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा अतारंकित Diary No. 2171 Lack of basic facilities for players

दिनांक 05.02.2026 की जानकारी बाबत।


संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 27.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether Government is aware that in many parts of the country, athletes face a severe shortage of basic sports facilities such as grounds, training, equipment, female coaches and healthcare facilities;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	If so, the details of the States/regions where this problem is more severe;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The steps taken by Government so far to address this shortage; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	Whether Government proposes to implement any special scheme in the near future to ensure the development of sports facilities in rural and backward areas?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,


(प्रो.यतेन्द्र कुमार सिंह)
कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ़9-14/92-उ.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmbai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: **एडमिशन/31212-13/2705**

दिनांक: **4/2/26**

सेवा मे,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई-दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा अतारांकित Diary No. 962 'Come and Play' Initiative for Grassroots Sports दिनांक 05.02.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 27.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The details of the 'Come and Play' initiative aimed at nurturing grassroots sports talent;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The number of Sports Authority of India stadiums opened for youth training;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The participation statistics from recent block-level sports meets; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	The support mechanisms available for transitioning talented youth to professional sports platforms?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यतेन्द्र सिंह

(प्रो.यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: **रजमे/312/2023/2586**

दिनांक **29/01/26**

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:-राज्य सभा अतारांकित प्रश्न Financial Sustainability for AIFF दिनांक 29.01.2026

की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 23.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

बिन्दु क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether the Rs 25 crore emergency funding with AIFF contributing Rs.14 crore for ISL and Rs.3.2 crore for I-League is sustainable or merely temporary relief;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	Whether Government has earned Rs.11 crore in taxes from footballer Lionel Messi's recent visit, while Messi was paid Rs. 89 crore, totalling Rs. 100 crore expenditure, and whether such spending on foreign player appearance is justified when Indian football leagues lack commercial partners and domestic players face unemployment, and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The long-term structural reforms planned to prevent future league suspensions and ensure financial sustainability?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यतेंद्र सिंह 29/01/26
(डॉ. यतेंद्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-यू. दिनांक 21.09.1995 घोषित।)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: **खज/मो/312/र/23/2587**

दिनांक: **29/01/26**

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा अतारांकित प्रश्न Registration under Mera Yuva Bharat दिनांक
29.01.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 23.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The number of youth registered and actively engaged under Mera Yuva Bharat (MY Bharat) since its launch, State-wise, and district-wise for Punjab;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	Whether any independent third-party evaluation or social audit of the scheme has been conducted;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Whether it is a fact that the current reporting of the scheme mainly reflects registrations rather than verified outcomes such as skills, placements or livelihoods;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	If so, the reasons therefor;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(e)	Whether Government proposes to introduce outcome-based monitoring and publish audited impact reports; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(f)	If so, the details thereof and, if not the reasons therefor?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यतेन्द्र कुमार सिंह

(डॉ. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: **एडा/न/34/2023/2588**

दिनांक: **29/01/26**

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

**विषय:- राज्य सभा तारांकित प्रश्न Female Representation in Sports दिनांक 29.01.2026
की जानकारी बाबत।**

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 23.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

बिन्दु क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The details of funds from Khelo India Scheme that have been dallocated to National Centers of Excellence (NCOEs) till dated ; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The details of funds allocated funds under the scheme that has been returned to the CFI and reasons therefor?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यु.एस.ए. 29/01/26

(डॉ. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिशन/312/2023/2589

दिनांक: 29/01/2026

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा तारांकित प्रश्न Activities and Programmes for youth registered on My Bharat दिनांक 29.01.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 23.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The number of youth registered on My Bharat platform;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The major categories of activities and nation-building programmes undertaken by these youth volunteers;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The training, certification and skill-development support provided to participating youth;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	Whether these platforms are being linked with employment, entrepreneurship and higher-education opportunities; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(e)	If so, the details thereof?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

(डॉ. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफए-14/92-यू दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: **युवा/1312/2023/2590**

दिनांक: **29/01/2026**

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा तारांकित प्रश्न Identifying young athletes दिनांक 29.01.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 23.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether Government has taken steps to expand the National Talent Search portal for identifying young athletes as the school level ;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	If so, the details thereof; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Whether special focus is being given to sough coastal districts, for scouting and nurturing youngh sports talent?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	Whether Government has taken steps to expand the National Talent Search portal for identifying young athletes as the school level ;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(e)	If so, the details thereof; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

युवा/1312/2023/2590

(डॉ. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-उ.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: **शुद्धि 312/2023/2591**

दिनांक: **29/01/2026**

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा तारांकित प्रश्न Khelo India Scheme in Tamil Nadu दिनांक 29.01.2026

की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 23.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The number of Khelo India Centres (KICs) and Khelo India State Centres of Excellence (KISCFs) approved and operational in Tamil Nadu;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The details of project proposal amount , funds allocated and amount released State-wise since launch of the Khelo India scheme;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The total number of projects that have undertaken in the State under Khelo India Scheme during the last three years;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	The number of athletes, including SC/ST/OBC, women and persons with disabilities, currently being trained under Khelo India in the State; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(e)	Whether Government proposes to sanction additional Centres or expand the Scheme in the State?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यतेन्द्र सिंह 29.01.26

(डॉ. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: **शक्ति/31/2023/2592**

दिनांक: **29/01/2026**

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा तारांकित प्रश्न Nation Youth Corpps Scheme दिनांक 29.01.2026

की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 23.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The number of volunteers deployed under the National Youth Corps Scheme including Rajasthan;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The number of MY Bharat Aapda Mitras trained and mobilised;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The major areas of engagement of these the youth volunteers; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	How the programme strengthens the community resilience and nation -building under Viksit Bharat@2047?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

युवा कार्यकर्ता 29/01/26

(डॉ. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ़9-14/92-उ.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: 23/01/2026/2593

दिनांक: 29/01/2026

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा तारांकित प्रश्न Rural sports infrastructure and training facilities दिनांक 29.01.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 23.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The steps taken by Government to strengthen rural sports infrastructure and training facilities under the Khelo India and other schemes;	संस्थान से वांछित जानकारी निरक है।
(b)	Whether new rural sports complexes or centres of excellence are proposed to be established; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरक है।
(c)	The details of funds allocated to State for grassroots sports promotion and talent identification in rural areas?	संस्थान से वांछित जानकारी निरक है।

भवदीय,

29/01/2026

(डॉ. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ़9-14/92-उ.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित।)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: **एएमबी/312/2023/2594**

दिनांक: **29/01/2026**

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा तारांकित प्रश्न Infrastructure for sports in Belgavi दिनांक 29.01.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 23.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

बिन्दु क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The status of upgrading or establishing a ' Sports Authority of India; (SAI) Regional Centre or Training Centre in Belgavi;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The details of central assistance provided for the development of ' Rani Channamma University' sports infrastructure;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The number of ' Fit India' certified schools in Belgavi district;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	The details support being provided for promotion of traditional sports (e.g. Kusti) in Belgavi under central schemes; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(e)	The status of the ' Youth Hostel' in Belgavi and what is the plan for its upgradation?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यतेन्द्र कुमार सिंह

(डॉ. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: **एडमिन/312/2023/2595**

दिनांक: **29/01/2026**

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा तारांकित प्रश्न Hoting of Olympics दिनांक 29.01.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 23.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether Government is aware that only once since 1970 the host of Olympics was profitable and the rest of countries incurred a loss;	संस्थान से वांछित जानकारी निरक है।
(b)	If so, the reasons for conducting the Olympics in India in 2036 amid existing fiscal constraints in the country;	संस्थान से वांछित जानकारी निरक है।
(c)	Whether Government has calculated the estimated amount that would be incurred to host the Olympics and if so, the details thereof; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरक है।
(d)	Whether there is any plan for utilising the stadiums and infrastructure after the Olympics events and if so, the details thereof?	संस्थान से वांछित जानकारी निरक है।
(e)	Whether Government is aware that only once since 1970 the host of Olympics was profitable and the rest of countries incurred a loss;	संस्थान से वांछित जानकारी निरक है।

भवदीय,

यतेन्द्र कुमार सिंह

(डॉ. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफए-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: राजनि/312/2023/2596

दिनांक: 29/01/2026

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा तारांकित प्रश्न Promotion of Sports In J&K दिनांक 29.01.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 23.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether Government is taken Initiatives to promote sports and physical fitness in Maharashtra, including development of modern sports infrastructure, training academics, and grassroots talent identification programs in urban and rural areas;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The steps being taken to encourage traditional and indigenous sports, increase participation of qwomen and differently-abled athletes, amd provide scholarships or financial support to promising youthl and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The details of funds allocated, projects implemented, sports facilities upgraded, and achievements recorded in national and international competitions in the State during the last three years?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	Whether Government is taken Initiatives to promote sports and physical fitness in Maharashtra, including development of modern sports infrastructure, training academics, and grassroots talent identification programs in urban and rural areas;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(e)	The steps being taken to encourage traditional and indigenous sports, increase participation of qwomen and differently-abled athletes, amd provide scholarships or financial support to promising youthl and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

(डॉ. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-उ.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: **रजभिन/312/2023/2520**

दिनांक: **24.1.26**

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा तारांकित प्रश्न डायरी नंबर 410 दिनांक 29.01.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 16.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The number of volunteers deployed under the National Youth Corps Scheme including rajasthan;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The number of MY Bharat Aapda Mitras trained and mobilised;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The major areas of engagement of these the youth volunteers; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	How the programme strengthens the community resilience and nation -building under Viksit Bharat@2047?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यतेन्द्र सिंह
(डॉ. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: २५३१०१३१२/२०२३/२५२१

दिनांक: २४/१/२६

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा तारांकित प्रश्न डायरी नंबर 222 दिनांक 29.01.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 16.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The details of funds from Khelo India Scheme that have been diverted to National Centers of Excellence (NCOEs) till dated ; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The details of funds (in rs) of allocated funds under the scheme that has been returned to the CFI and reasons therefor?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

२४/१/२६
(डॉ. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-U.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: 25/अभिन 1312/2023/2522

दिनांक: 24-1-26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा तारांकित प्रश्न डायरी नंबर 77 दिनांक 29.01.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 16.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether Government proposes to establish a National Centre of Excellence (NCOE) for water sports in Jammu & Kashmir;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	If so, the details thereof;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Whether Government has taken steps to promote sports by establishing Khelo India Centres(KICs) in the U.T.;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	If so, the details thereof; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(e)	The funds allocated to the State for promotion of sports during the last two years, and the funds utilised by the U.T?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यतेन्द्र कुमार सिंह 24/1/26

(डॉ. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: २५३/३१२/२०२३/२५२३

दिनांक: २५.१.२६

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा तारांकित प्रश्न डायरी नंबर 147 दिनांक 29.01.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 16.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether Government is aware that only once since 1970 the host of Olympics was profitable and the rest of countries incurred a loss;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	If so, the reasons for conducting the Olympics in India in 2026 amid existing fiscal constraints in the country;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Whether Government has calculated the estimated amount that would be incurred to host the Olympics and if so, the details thereof; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	Whether there is any plan for utilising the stadiums and infrastructure after the Olympics events and if so, the details thereof?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

२५/१/२६

(डॉ. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-उ.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिशन/312/2023/2524

दिनांक: 24.1.26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा तारांकित प्रश्न डायरी नंबर 342 दिनांक 29.01.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 16.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether Government is aware that the All India Football Federation (AIFF) is facing a revenue deficit of about Rs. 25 crore, affecting the operation of the country's top-tier football league;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	Whether any interim financial assistance or facilitation has been provided to ensure continuity of top-tier football competitions and safeguard players and clubs interests;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Whether Government has reviewed the governance and financial sustainability of AIFF amid recurring fiscal stress; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	The steps taken or proposed to ensure long-term financial viability, transparent governance, and uninterrupted conduct of national football leagues?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यतेन्द्र कुमार सिंह

(डॉ. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-उ.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: २५५/३१२/२०२३/२५२५

दिनांक: २५.०१.२०२६

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा तारांकित प्रश्न डायरी नंबर 149 दिनांक 29.01.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 16.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether Government is taken Initiatives to promote sports and physical fitness in Maharashtra, including development of modern sports infrastructure, training academics, and grassroots talent identification programs in urban and rural areas;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The steps being taken to encourage traditional and indigenous sports, increase participation of women and differently-abled athletes, and provide scholarships or financial support to promising youth and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The details of funds allocated, projects implemented, sports facilities upgraded, and achievements recorded in national and international competitions in the State during the last three years?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यतेंद्र कुमार सिंह १२/०१/२६

(डॉ. यतेंद्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: 25मिठ/312/2023/2526

दिनांक: 24.1.2026

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा तारांकित प्रश्न डायरी नंबर 404 दिनांक 29.01.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 16.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The steps taken by Government to strengthen rural sports infrastructure and training facilities under the Khelo India and other schemes;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	Whether new rural sports complexes or centres of excellence are proposed to be established; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The details of funds allocated to State for grassroots sports promotion and talent identification in rural areas?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

— यत्नेन्द्र कुमार सिंह 24.01.26

(डॉ. यत्नेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: 25मिग/312/2023/2527

दिनांक: 24.1.26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा तारांकित प्रश्न डायरी नंबर 431 दिनांक 29.01.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 16.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether Government has received and representation from public representatives seeking release of funds for Multipurpose sports in Wankaner;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The steps have been taken or proposed to establish such facilities there;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Whether the Government is aware of shortage of adequate sports infrastructure in Wankaner. Morbi District, despite its educational expansion and growing youth population;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	Whether specific funds have been earmarked for sports infrastructure development in smaller cities such as Wankaner, and if so, the details thereof; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(e)	What measures are proposed to encourage local sporting talent and promote physical fitness among the youth of Wankaner?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

(डा. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: ५९३३३/३२५२३/२५२९

दिनांक: 24.1.26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा तारांकित प्रश्न डायरी नंबर 157 दिनांक 29.01.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 16.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The number of Khelo India Centres (KICs) and Khelo India State Centres of Excellence (KISCs) approved and operational in Tamil Nadu;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The details of project proposal amount, funds allocated and amount released State-wise since launch of the Khelo India scheme;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The total number of projects that have undertaken in the State under Khelo India Scheme during the last three years;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	The number of athletes, including SC/ST/OBC, women and persons with disabilities, currently being trained under Khelo India in the State; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(e)	Whether Government proposes to sanction additional Centres or expand the Scheme in the State?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

— यतेश्वर सिंह 24.01.26
(डॉ. यतेश्वर सिंह)
कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू दिनांक 21.09.1993 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिशन/312/2023/2529

दिनांक: 24.1.26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा तारांकित प्रश्न डायरी नंबर 238 दिनांक 29.01.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 16.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The current status of India's of bid to host the 2036 Summer Olympic, including any official communications with the International Olympic Committee (IOC) and the proposed host city;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The specific steps being taken to upgrade existing sports infrastructure and develop new facilities to meet Olympic standards in preparation for the bid; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Whether there are plans to include traditional Indian sports such as kadaddi, kho-kho, and yoga in the Olympic programme, and if so, the initiatives undertaken to promote their inclusion?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यतिन्द्र कुमार सिंह

(डॉ. यतिन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-उ.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: 2530/312/2023/2530

दिनांक: 24-1-26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा तारांकित प्रश्न डायरी नंबर 198 दिनांक 29.01.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 16.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether the Rs crore emergency funding with AIFF contributing Rs.14 crore for ISL and Rs. 3.2 crore for I-League is sustainable or merely temporary relief;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	Whether Government has earned Rs.11 crore in taxes from footballer Lionel Messi's recent visit, while Messi was paid Rs. 89 crore, totalling Rs. 100 crore expenditure, and whether such spending on foreign player appearance is justified when Indian football leagues lack commercial partners and domestic players face unemployment, and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The long-term structural reforms planned to prevent future league suspensions and ensure financial sustainability?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

24/1/26
(डॉ. यतेन्द्र कुमार सिंह)
कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिन् 1312/2623/2531

दिनांक: 24.1.26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा तारांकित प्रश्न डायरी नंबर 311 दिनांक 29.01.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 16.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The details of scheme proposed by Government to develop sports facilities and encourage the sporting talents in the backward areas of the country specifically in Punjab and Himachal Pradesh;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The details of scheme of Government to encourage group participation among youth in Annual Sports competitions;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The details of plans for redressing the problems such as wrong management related to sports, social and economic disparities and lack infrastructure; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	The details of extent to which improvements have been made so far in this regard?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यु.के. सिंह 24/01/26
(डॉ. यतेन्द्र कुमार सिंह)
कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: 25मिन/312/2023/2532

दिनांक: 24.1.26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा तारांकित प्रश्न डायरी नंबर 319 दिनांक 29.01.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 16.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether Government has taken steps to expand the National Talent Search portal for identifying young athletes as the school level ;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	If so, the details thereof; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Whether special focus is being given to sough coastal districts, for scouting and nurturing youngh sports talent?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

24/01/26
(डॉ. यतेन्द्र कुमार सिंह)
कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफए-14/92-यू दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: शक्ति/312/2023/2533

दिनांक: 24.1.26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा तारांकित प्रश्न डायरी नंबर 349 दिनांक 29.01.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 16.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether Government has taken note of the Abhinav Bindra Task Force's observation that, despite the proposed National Sports Governance Act mandating athlete representation in National Sports Federation (NSF) executive committees, there is currently no structured system to prepare athletes for governance and leadership roles;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	Whether Government proposes to introduce a Dual Athlete Career Pathway integrated with the Ling-Term Athlete Development (LTAD) model to equip athletes with governance, administrative and leadership skills post-retirement; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The steps proposed, timelines envisaged, and international best practices being examined to ensure effective athlete participation in sports decision-making bodies?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

(डॉ. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmbai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: 2531/312/2023/2534

दिनांक: 24-1-26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा तारांकित प्रश्न डायरी नंबर 449 दिनांक 29.01.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 16.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The status of upgrading or establishing a 'Sports Authority of India; (SAI) Regional Centre or Training Centre in Belagavi;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The details of central assistance provided for the development of 'Rano Channamma University' sports infrastructure;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The number of 'Fit India' certified schools in Belagavi district;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	The details support being provided for promotion of traditional sports(e.g. Kusti) in Belagavi under central schemes; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(e)	The status of the ' Youth Hostel' in Belagavi and what is the plan for its upgradation?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

24/1/26
(डॉ. यतेन्द्र कुमार सिंह)
कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: एडमिशन/312/2023/2535

दिनांक: 24-1-26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा तारांकित प्रश्न डायरी नंबर 148 दिनांक 29.01.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 16.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether the Government has examined the potential of the Navika sagar Parikrama as a tool for youth engagement, leadership development, adventure sports motivation and promotion of sailing seamanship and coastal sports among young people across India ?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	If so, the details of programme reviews, youth participation trends and sports outreach feedback examined by the Government regarding its impact on interest in sailing, marine sports and youth training initiatives?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The measures proposed to be taken by the Government to expand youth access to sailing and marine sports through training facilities, coaching support and structured life-skills integration?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

24/01/26

(डॉ. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: 25/36/31/2536

दिनांक: 24.1.26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा तारांकित प्रश्न डायरी नंबर 196 दिनांक 29.01.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 16.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether the Government is supporting eco-tourism projects in hill regions across the country, particularly the Pune hill ranges, if so, the details of schemes, financial assistance and approvals granted during the last three years;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The safeguards prescribed to project ecology, biodiversity and carrying capacity while promoting tourism activities in such sensitive areas; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The extent of involvement of local communities, including employment, skill development and benefit-sharing mechanisms, in these eco-tourism initiatives?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यतेन्द्र कुमार सिंह 24/01/26

(डॉ. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-यू दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: 25/निक/312/2023/2537

दिनांक: 24-1-26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा तारांकित प्रश्न डायरी नंबर 81 दिनांक 29.01.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 16.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The details of targeted schemes that exist to encourage women's participation and nurture untapped talent at grassroots level in Himachal Pradesh;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The manner in which the Central Government would ensure that sports stadiums in the State are accessible and inclusive for people with disabilities;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Whether any specific central support is being provided the Nehru Yuva Kendra Saangathan (NYKS) and national Service Scheme (NSS) in the State for grassroots sports promotion and youth empowerment in tribal areas; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	If so, the details in this regard?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यत्नेन्द्र कुमार सिंह 24/01/26

(डॉ. यत्नेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ9-14/92-उ.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: २५३८/३१२/२०२३/२५३८

दिनांक: २५.१.२६

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा तारांकित प्रश्न डायरी नंबर 207 दिनांक 29.01.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 16.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The number of youth registered on My Bharat platform;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The major categories of activities and nation-building programmes undertaken by these youth volunteers;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The training, certification and skill-development support provided to participating youth;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	Whether these platforms are being linked with employment, entrepreneurship and higher-education opportunities; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(e)	If so, the details thereof?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यु.के.सी. २५.०१.२६
(डा. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: 2539/312/2023/2539

दिनांक: 24.1.26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा तारांकित प्रश्न डायरी नंबर 318 दिनांक 29.01.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 16.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The current enrolment and outreach of the Mera Yuva Bharat platform;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The nature of skill development volunteering and employment linkages being offered throughtot;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The participation of youth States such as Maharashtra; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	How the programme is contributing to nation building goals including Viksit Bharat by 2047?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

यतेन्द्र कुमार सिंह

(डॉ. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफए-14/92-यू.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: 25/मि.न/1312/2023/2540

दिनांक: 24.1.26

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा तारांकित प्रश्न डायरी नंबर 421 दिनांक 29.01.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 16.01.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The number of youth registered and actively engaged under Mera Yuva Bharat(MY Bharat) since its launch, State-wise, and district-wise for Punjab;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	Whether any independent third-party evaluation or social audit of the scheme has been conducted;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	Whether it is a fact that the current reporting of the scheme mainly reflects registrations rather than verified outcomes such as skills, placements or livelihoods;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	If so, the reasons therefor;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(e)	Whether Government proposes to introduce outcome-based monitoring and publish audited impact reports; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(f)	If so, the details thereof and, if not the reasons therefor?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

(डॉ. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफए-14/92-यू दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: २५३१/३१२/२०२३/२५५१

दिनांक: २५.१.२६

सेवा में,

संसद अनुभाग,

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय,

सी- विंग, शास्त्री भवन,

नई दिल्ली -110001

विषय:- राज्य सभा तारांकित प्रश्न डायरी नंबर 291 दिनांक 29.01.2026 की जानकारी बाबत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 16.01.2026

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत जानकारी निम्नानुसार है:-

क्रि. क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	The plan for launching a special talent identification programme in Kushinagar, focusing on indigenous games and rural athletes;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(b)	The steps taken to provide financial assistance and coaching support to promising young athletes from the district;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(c)	The funds allocated for conducting anti-drug and fitness awareness campaigns (Fit India Movement) in educational institutions;	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(d)	The progress made in ensuring gender parity in youth and sports programmes; and	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।
(e)	The Measures to link local sports achievers with national training centres?	संस्थान से वांछित जानकारी निरंक है।

भवदीय,

२५/०१/२६
(डॉ. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी



लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर

विश्वविद्यालय मानी गयी संस्था

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ.9-14/92-उ.3 दिनांक 21.09.1995 घोषित)

भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

Lakshmi Bai National Institute of Physical Education, Gwalior

Deemed to be University

(Declared vide Government of India, Ministry of Human Resource Development Notification No.F.9-14/92-U.3 dated 21.09.1995 under section 3 of UGC Act, 1956)

Government of India, Ministry of Youth Affairs and Sports

क्रमांक: सूचना 31/12/2023/2002

दिनांक: 3/12/25

सेवा में,

स्वायत्त निकाय अनुभाग,

खेल विभाग, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार,

नई दिल्ली

विषय:- राज्यसभा अतारांकित प्रश्न डायरी क्रमांक 1883 दिनांक 11.12.2025 बावत।

संदर्भ:- आपका ई-मेल दिनांक 02.12.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित ई-मेल के अन्तर्गत वांछित जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	वांछित जानकारी	संस्थान द्वारा प्रदत्त जानकारी
(a)	Whether Government has any proposal to establish a National Sports University or Training Centre in Maharashtra; and	वांछित जानकारी Annexure - A संलग्न है।
(b)	The step taken to promote sports among youth at the grassroots level	वांछित जानकारी Annexure - A संलग्न है।

भवदीय,

यतेन्द्र सिंह 31/12/25
(डॉ. यतेन्द्र कुमार सिंह)

कुलसचिव प्रभारी

कम

JW3

Annexure-A

Please refer to your email dated 02.12.2025 through which inputs/comments on the Rajya Sabha provisionally admitted question unstarred dairy No. 1883 for 11.12.2025 has been sought. The inputs/comments are submitted as under:

a. Whether government has any proposal to establish a National Sports University or Training Centre in Maharashtra

No comments.

b. The steps taken to promote sports among youth at the grassroots level?

(i) School Connect Programme launched by the LNIPE, Gwalior

LNIPE has launched a School Connect Programme aimed at building strong collaboration between schools, local communities and sports stakeholders. The programme focuses on strengthening students' learning in physical education and sports for their overall holistic development.

The initiative works to promote the systematic development of physical education and sports at the school level. It emphasizes regular physical activities, structured sports training and awareness about the importance of fitness among young learners.

Efforts are made to develop and upgrade sports infrastructure in schools such as playgrounds, sports equipment and training facilities. Better infrastructure helps create an environment that motivates students to participate actively in sports.

Through activities and assessments, the programme helps identify young sporting talent early. Promising students are guided towards advanced training opportunities, enabling them to become future ready athletes.

(ii) Conducts regularly summer coaching camps for children

LNIPE, Gwalior regularly conducts 45-day summer coaching camps in various games and sports for children from the greater Gwalior region. Through these camps, the Institute provides structured training while also creating awareness about the importance of sports. During the camp, both children and their parents are motivated to devote more time to outdoor sports, promoting physical fitness and holistic development.

1
— यशोवर्धन —

(iii) LNIPE, Gwalior distributions of sports kits to the students belonging to rural areas.

LNIPE, Gwalior regularly donates various types of sports kits to school students in the rural areas of the Gwalior region to motivate and encourage their participation in sports. During these visits LNIPE faculty members also conduct short training sessions and basic skill development activities for the students.

(iv) LNIPE, Gwalior conducts Sports Nursery in various sports


LNIPE, Gwalior regularly conducts a Sports Nursery program in various games for school children of Gwalior city. Through this program, faculty members provide training in both basic and advanced skills of different sports. The objective is to nurture young talent and help them develop into skilled and promising sportspersons.

(v) Mass Display training programme of one month duration for the schools children of Gwalior by BPED students

LNIPE, Gwalior conducts a one month Mass Display Training Programme for students from various schools across Gwalior. During this programme, children are trained in different mass display skills under the guidance of experienced LNIPE BPED students. At the end of the training period, the participants showcase their acquired skills in a special performance organized at LNIPE, Gwalior.

(vi) Internship programme BPED, MPED, PG Diploma students

BPED, MPED & PG Diploma students of LNIPE, Gwalior undertake various internship program in various schools across India. During this internship, our students train school children in both basic and advanced sports skills. They also educate them about the rules and regulations of major international sporting events such as the Olympics, Commonwealth Games, Asian Games etc.


(Dr. Yatendra Kumar Singh)
Registrar I/c
2/11